न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 3/2013

उनवान

1. श्री मोहम्मद उर्फ मोमदी पुत्र अम्मी उम्र 60 वर्ष
2. श्री मिश्री पुत्र अम्मी जी, उम्र 58 वर्ष
3. श्री मिठठू पुत्र अम्मजी उम्र 55 वर्ष
   समस्त जाति मुसलमान निवासी हरियाली बाडिया, ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर

..... अपीलान्ट .....

बनाम

1. श्री मंगल पुत्र श्री मादू जाति मुसलमान निवासी आगला कांकड बाडिया ग्राम सोमलपुर
2. श्री बीरबल श्री मादू जाति मुसलमान निवासी आगला कांकड बाडिया ग्राम सोमलपुर
3. श्री रहमत श्री मादू जाति मुसलमान निवासी आगला कांकड बाडिया ग्राम सोमलपुर
4. श्री शरीफ श्री मादू जाति मुसलमान निवासी आगला कांकड बाडिया ग्राम सोमलपुर
5. श्री हमीद श्री मादू जाति मुसलमान निवासी आगला कांकड बाडिया ग्राम सोमलपुर
6. श्रीमती सकीना पुत्री श्री मादू पत्नी श्री सुवा जाति मुसलमान निवासी ग्राम रूदलाई तहसील मसूदा जिला अजमेर
7. श्रीमती मेहफूल पुत्री श्री मांदू पत्नी श्री नूरा जाति मुसलमान निवासी ग्राम हरराजपुरा तहसील मसूदा
8. श्रीमती हलीमी पुत्री श्री मांदू पत्नी श्री रोशन जाति मुसलमान निवासी ग्राम रूदलाई तहसील मसूदा जिला अजमेर
9. श्रीमती मीरा पुत्री श्री मादू पत्नी श्री नेनू, जाति मुसलमान निवासी ग्राम हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर

Scanned by CamScanner

10. ग्राम पंचायत सोमलपुर तहसील मसूदा जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1429 जो सरपंच ग्राम पंचायत सोमलपुर द्वारा दिनांक 5.5.2012 को तस्दीक किया गया ।

आदेश

दिनांक :– 05.12.2019

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3183 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर में स्थित है उक्त आराजी की खातेदार रहमान, रतना, मोहम्मद उर्फ मामदी व मिठठू दर्ज चले आ रहे है। रहनमान के स्वर्गवास होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 288 दिनांक 5.3. 2002 को सकीना बेवा रहमान , पप्पू पुत्र रहमान के नाम पारित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका था । उक्त आराजी बाबत एक नामांतकरण संख्या 1402 दिनांक 25.1.2012 को पटवारी हल्का सोमलपुर ने भरकर तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उक्त नामांतरकरण को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 5.4.74 के आधार पर भाई द्वारा बेचान किया जाना बताकर प्रस्तुत किया । विद्वान तहसीलदार अजमेर ने अपीलांटस खातेदार मोहम्मद उर्फ मामदी एवं मिठठू को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा किसी भी प्रकार की जांच पडताल किये बगैर अपने आदेश दिनांक 25.1.2012 द्वारा मृतक व्यक्ति मांदू पुत्र हंजा के नाम पारित कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड से अपीलांटस खातेदार का नाम हटा दिया गया । उसके पश्चात मांदू की विरासत नामांकरण संख्या 1429 दिनांक 5.5.2012 को सरपंच ग्राम पंचायत सोमलपुर द्वारा पारित कर दिया । अपीलांटस ने नामातकरण संख्या 1402 की अपील विद्वान तहसीलदार महोदय अजमेर के निर्णय के विरूद्व जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है तथा उक्त नामांतकरण संख्या 1429 जो सरंपच ग्राम पंचायत सोमलपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक किया गया का माननीय न्यायालय में क्षेत्राधिकार होने के कारण प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत सोमलपुर द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 1429 दिनांक 5.5.2012 न्याय नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्व होकर निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट के नाम मांदू की विरासत का नामांतकरण पारित किया गया है चूकि मांदू के नाम विक्रय पत्र दिनांक 5.4.74 के

Scanned by CamScanner

आधार पर गलत रूप से नाम विक्रय पत्र दिनांक 5.4.74 के आधार पर गलत रूप से अपीलांटस के हक व हिस्से का भी नामांतकरण खोल दिया था जिसके विरूद्व अपीलांटस ने विद्वान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। इसलिए मांदू की विरासत गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम खोली गई है । जो निरस्तनीय है। पूर्व नामांतकरण संख्या 1402 दिनांक 25.1.2012 जो मांदू के नाम पारित किया गया है वह मृतक व्यक्ति के नाम खोला गया था चूकि मांदू का स्वर्गवास नामांतकरण संख्या 1429 के कॉलम संख्या 14 में मांदू की मृत्यु दिनांक 3.6.1982 बताई हुई है इसलिए विरासत का नामांतकरण गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम पारित किया गया है। मादू के नाम जिस विक्रय पत्र दिनांक 5.4.74 के आधार पर नामांतकरण पारित किया गया था वह अपीलांटस द्वारा बेचान नही की गई है बल्कि अपीलांटस को नाबालिग बताकर अपीलांटस के भाइयों ने बेचान की है । जबकि अगर अपीलांटस नाबालिग भी हो तो भी उनका हक व हिस्सा बेचने का अधिकार उनके रहमान व रतना को नही था । इसलिए उक्त विक्रय पत्र के आधार पर मादू के नाम नामांतकरण पारित नही किया जा सकता था न ही मांदू की विरासत नामांतकरण संख्या 1429 दिनांक 5.5.2012 रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक किया जा सकता था। मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी मृतक के मुस्लिम वारिसान अपने विशिष्ट हिस्से के मृतक द्वारा छोडी गई सम्पत्ति के स्वत्रंत रूप से अपने अपने हिस्से के पूर्ण रूप से मालिक होते है इस प्रकार एक हिस्सेदार को दूसरे हिस्सेदार की सम्पति को किवक्रय करने का कोई हित, अधिकार एवं हक नही है। विद्वान तहसीलदार ने विक्रय पत्र का अवलोकन किये बगैर दिनांक दिनांक 5.4.1974 के विक्रय पत्र के आधार पर मांदू के नाम नामांतकरण खोला जो मृतक व्यक्ति के नाम था तत्पश्चात विरासत का नामांतकरण रेस्पोडेन्ट के नाम गलत रूप से पारित किया गया है। मांदू का स्वर्गवास दिनांक 3.6.82 को हो चुका था इसलिए नामांतकरण संख्या 1402 जो मृतक व्यक्ति मादू के नाम खोला था उस वक्त अपीलांटस खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया न ही नोटिस जारी किये । इसलिए विरासत नामांतकरण खोले जाने से पूर्व अपीलांटस को सुना जाना आवश्यक था। विक्रय पत्र दिनांक 5.4.74 के आधार पर प्रश्नगत नामांतकरण खोला गया है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार भाई अपने नाबालिग भाइयो का संरक्षक नही हो सकता उक्त प्रकरण में रहमान, रतना ने अपने भाईयो को नाबालिग बताकर जो विक्रय पत्र निष्पाद्वित किया है वह विक्रय पत्र कानूनन कोई कार्यवाही नही की जा सकती है एवं न ही कानून में किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में मांदू के नाम नामांतकरण खोलकर तत्पश्चात विरासत नामांतकरण संख्या 1429 भी गलत रूप से तस्दीक किया गया है। अपीलांटस ने विरासत नामांतकरण संख्या 1429 जो दिनांक 5.5.2012 को पारित किया गया है उक्त नामांतकरण पारित करने से पूर्व मृतक मांदू के नाम जो नामांतकरण संख्या 1402 गलत रूप से खोला गया उसको अपीलांटस ने चुनौति दे

Scanned by CamScanner

दी है । अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत सोमलपुर द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1429 दिनांक 5.5.2012 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए । रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 9 की ओर से श्री डूगरसिह अधिवक्ता उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान अपील नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत होकर एक समरी कार्यवाही है जिसके तहत पंजिकृत विक्रय पत्र की वैधता एवं पक्षकारों के हक अधिकार का निर्धारण किया जाना सम्भव नही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

तत्पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। धारा 5 में अपीलार्थी का कथन है विवादित नामान्तकरण की जानकारी वर्ष 2013 को हुई उससे पूर्व कोई जानकारी नही थी रेस्पो. द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की है कि उक्त तिथी से पूर्व अपीलार्थी को विवादित नामान्तकरण की जानकारी रही हो ना जानकारी का समय न्यायहित में समयावधि है अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाता है व अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पृकट होता है कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.4.1974 के सबंध में रहा है। जबकि वर्तमान अपील नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत होकर एक समरी कार्यवाही है जिसके तहत पंजिकृत विक्रय पत्र की वैधता एवं पक्षकारों के हक अधिकार का निर्धारण किया जाना सम्भव नही है । उक्त सभी विधिक तथ्य नियमित वाद के माध्यम से ही निर्णित किया जाना सम्भव है । इस प्रकार अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने योग्य है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner